अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 264/2012

शिवजी शर्मा एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

रामोतार शर्मा एवं अन्य —— रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 23.06.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 254/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में विवादी जमीन मौजाः सहरसा, सर्वे वार्ड नं0 12 थाना नं0 189 अंचलः सहरसा, जिलाः सहरसा के खाता नया 523, 524, 525, 528, 529 की भूमि में आवेदक का 1/4 अंश विवादी भूमि है।

निम्नन्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष दायर वाद में संक्षेप में मामला यह है कि निम्नन्यायालय के अर्जी आवेदन के पाराः 14 के द्वारा निम्नन्यायालय से रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के हिस्सा 1/4 भाग की जमीन का अलग तख्ताबंदी किये जाने संबंधी अनुतोश की मांग की गई ।

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि बंटवारा पूर्व से जारी अधिकार का सहहिस्सेदारों, भूमि के सह मालिकों के बीच पुर्नबंटवारा या समायोजन है जो कि व्यवहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है वो विधि के प्रावधान के अनुसार बंटवारा का प्रथम चरण स्वत्व/अधिकार का निर्धारण वो दूसरा चरण बंटवारा वो तीसरा चरण execution है। अतएवं स्वत्व का निर्धारण वो बंटवारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है ।

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी के पिता कुसुम लाल शर्मा द्वारा अतिरिक्त भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को बिक्री कर दिया गया। केता वाद खरीदगी के उक्त भूमि पर दखलकार चले आते हैं बतलाया गया।

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी का प्रश्नगत भूमि में एक इंच भी भूमि उनके दखल में नहीं है अतएवं उक्त पक्षकारों के बीच प्रश्नगत भूमि पर समेकित अधिकार /स्वत्व एवं समेकित दखल नहीं है अतएवं रेस्पोण्डेन्ट/वादी का दावा गलत बतलाते है।

अपीलार्थी/विपक्षी अपने दावे के समर्थन में लिखित बहस के साथ शिवजी शर्मा के नाम से वर्ष 11–12 एवं 12–13 का मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, कुसुम लाल शर्मा द्वारा रामकृष्ण शर्मा के पक्ष में केवाला दस्तावेज दिनांक 08.06.73 की छाया प्रति एवं कुसुम लाल शर्मा द्वारा तिलो शर्मा के पक्ष में केवाला दस्तावेज 23.02.79 की छाया प्रति दाखिल किये है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विवादी जमीन नथर शर्मा की है तथा नथर शर्मा को चार लड़का जागो शर्मा वो गुनो शर्मा वो रामेश्वर शर्मा वो कुसुम लाल शर्मा हुए वो आवेदक कुसुम लाल के लड़के हैं। नथर शर्मा को एक बंशवृक्ष वाद पत्र में दी गयी। विवादी जमीन का आरधूर देकर बंटवारा नहीं हुआ तथा आपसी सहुलियत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण विवादी जमीन जोत आबाद एवं भोग तससरूफ करते हैं जिसमें बराबर झिक– झिक एवं कवाहत होता है तथा रेस्पोण्डेन्ट/वादी के दखल कब्जा की जमीन से बेदखल करने पर आतुर हैं। रेस्पोण्डेन्ट/वादी विवादी भूमि के लिए प्रतिवादीगण को बंटवारा कागजात बना देने का आग्रह करते रहे लेकिन अपीलार्थी/विपक्षीगण तैयार नहीं हुए इसलिए बतौर कागजी प्रमाण बंटवारा के लिए रेस्पोण्डेन्ट /वादी की ओर से अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध निम्नन्यायालय में वाद दायर की गयी थी जिसमें विज्ञ निम्नन्यायालय द्वारा विवादी भूमि के मद संख्या 01 की भूमि में रेस्पोण्डेन्ट/वादी का दाबा 01 अंश वो अपीलार्थीग/विपक्षी संख्या–1,2,3, एवं 4 का 01 अंश वो प्रतिवादी संख्या 5, 8, 09 का 01 अंश तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 06 ,7, एवं 10 का 01 अंश के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट/वादी एवं अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के अंश के मुताबिक बंटवारा वाद की स्वीकृती को सही बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी निम्न न्यायालय के समक्ष अपने दावे के समर्थन में हाल सर्वे खतियान की छाया प्रति एवं इनफारमेशन की छाया प्रति दाखिल किये थे।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि विज्ञ निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। अस्तु अपील वाद खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

4/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल,सहरसा